(आदेश फलक)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 189/19

धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

कुलसुम बीबी बनाम साकुर मियाँ वगै०

10-01-20
24-01-20
11-02-20
25-02-20
17-03-20
03-04-20
25-09-20
09-10-20

स्थानीय पुलिस निमियाँघाट थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है एवं काफी तनाव है जिससे काफी तनाव है। कभी भी अप्रिय घटना कर शांति भंग कर सकता है।

02-07-20

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति–व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिमंग, खून–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 10 / 01 20 20 को कारण–पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/– रूपये के दो–दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध–पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष :→ कुलसुम बीबी, पति :- असरफी मियाँ, खाखीखुर्द

द्वितीय पक्ष :→ 1. साकुर मियाँ पिता- स्व० नूर मियाँ (2) कयुम अंसारी पि० किटी मियां (3) किटी मियां पि० स्व० नूर मियां (4) गयास अंसारी पे० सोना मियां (5) सुलतान अंसारी, पे० नुर मिया (6) मुबारक अंसारी पे० अली मोहम्मद (7) कासीम अंसारी पे० स्व० भीखन मिया (8) अलीजान अंसारी पे० भीखन मियां (9) अनवर अंसारी पे० स्व० गफुर मिया (10) खलील अंसारी पे० स्व० चुजा मिया (11) जलील अंसारी पे० स्व० चुजा मिया (12) कुरबान अंसारी पे० स्व० चुजा मिया (13) ईदु अंसारी पे० स्व० उस्मान मिया (14) पती अंसारी पे० स्व० नुर मियां

सभी सा० खाखीखुर्द - थाना - निमियाँघाट।

लेखापित

03-01-2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
डुमरी

कार्यपालक दण्डाधिकारी डुमरी (गिरिडीह)

03-01-2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
डुमरी

Scanned with CamScanner

दं.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 189/19-20

कुलसुम बीबी बनाम साकुर मियाँ वगै०

12-12-20

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ हीं अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

12.12.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Certified Copy Issued
24.12.2021